माता-पिता कि प्रतिष्ठा
क़ुरान व हदीस कि रोशनी में

अल्लाह तआ़ला ने मानव को अस्तित्व दान करता तो माता-पिता को इस के अस्तित्व का ज़ाहिरी माध्यम बनाया। माता-पिता को रहमत व कृपा का सारांश बना कर इस ने औलद कि सहीहं पालन-पोषण इन के ज़िम्मे फरमा दी।

औलाद को भी अपने माता-पिता कि सेवा करना तथा इस के अधिकार का समापन करने का अनुदेश फरमाया। माता-पिता के अधिकार कि --- आदेश कि महत्वता व अनुदेश कि आशंका इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है के अल्लाह तआ़ला ने क़ुरान करीम में अपनी इ़बादत व जीवन के आदेश के तुरंत बाद माता-पिता के साथ शिष्टाचार करने का उपदेश किया है।

अतेतः अल्लाह तआ़ला आदेश फरमायाः-

भाषांतरः- और आप के रब ने यह निर्णय फरमा दिया के तुम इस के सिवा किसी कि इ़बादत ना करो तथा माता-पिता के साथ शिष्टाचार किया करो! यदि इन दोनों में से कोई एक या दोनों बूढापे को पहुंच जाएं तो तुम इन्हें उफ तक ना कहो तथा इन्हें मत झिड़को! तथा इन से अदब व आदर कि बात कहो! तथा इन दोनों के लिए करुणा व स्नेह से नम्रता व व्यावहारिक का बाज़ू बिझा दो तथा निवेदन करो! ऐ मेरे पालनहार! इन दोनों पर महरबानी फरमा जैसा के इन्हों ने बचपन में (मुहब्बत व रहमत से) मेरी परवरिश की।

(सुरह बनी इसराईलः 17छ 23/24)

इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने 7 हिदायात दी हैं। जिन में 5 के करने का आधेश फरमाया है तथा 2 से बचे रहने का अनुदेश दिया है।

इन कार्य को अंजाम दिया जाए-

(1)- अल्लाह तआ़ला ही कि इ़बादत व बंदगी कि जाए।

(2)- माता-पिता के साथ शिष्टाचार किया जाए।

(3)- माता-पिता के साथ आदर व सम्मान कि वार्तालाप किया जाए।

(4)- माता-पिता के लिए रहम व करुणा ली से विनम्रता का बाज़ व बिछा दिया जाए।

(5)- तथा माता-पिता के अधिकार में प्रार्थना कि जाए के “पालनहार! इन पर रहम फरमा जैसा के इन्हों ने बचपन में मुहब्बत व रहमत से मेरे परवरिश की”।

माता-पिता कि आज्ञापालन औलाद कि मुख्य ज़िम्मेदारी

अधिकार दो प्रकार कि हैः-
(1)- अधिकार अल्लाह के तथा
(2)- अधिकार इ़बादत के।

इबादत के अधिकार में "माता-पिता के अधिकार" सम्पूर्ण अधिकार पर प्रथम हैं।

उल्लेख आयत के अलावा क़ुरान मजीद में कई स्थान पर माता-पिता के साथ शिष्टाचार तथा भला व्यवहार का आदेश दिया गया। इस नीव पर माता-पिता कि सेवा गुज़ारना आज्ञापालन व फर्मबरदारी औलाद कि मुख्य ज़िम्मेदारी है।

एक मधुर इशारा

यहाँ यह बात ध्यान के योग्य है के माता-पिता के सम्मान व आदर का आदेश इश लिए दिया जा रहा है के वह औलाद के ज़ाहिरी अस्तित्व का माध्यम है।

अतेतः इन का आदर व सम्मान औलाद पर अनिवार्य है। इस प्रकार आदर करने का आदेश है के जब इन कि सेवा में उपस्थित हों ते निगाहें नीची रहें। कोमल अंदाज़ में वार्तालाप कि जाए, ना इन्हें झिडकें ना इन से कठि बात करें तथा ज़बान से चोट पहुंचाना तो "उफ" कहने से तक मना किया गया।

ग़ौर करना चाहिए के जो हमारे ज़ाहिरी अस्तित्व का माध्यम स्थापित पाएं इन का आदर व सम्मान, इज्जत व प्रतिष्ठा का इस प्रकार आदेश दिया जा रहा है तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आप का अस्तित्व बावजूद ना केवल हमारे अस्तित्व का माध्यम बल्कि सम्पूर्ण निर्माण के अस्तित्व का माध्यम है। आप कि किस प्रकार आदर व सम्मान करनी चाहिए तथा किस दर्जे आप का अदब करना चाहिए?

माता-पिता का रजामंदी में अल्लाह कि रजामंदी

अल्लाह तआ़ला ने अपनी रजामंदि व प्रसन्नता को माता-पिता कि रजामंदि में रख दिया है तथा अपनी नाराज़गी व अप्रसन्नता को माता-पिता में रख दिया है। जैसा के कंज़ुल उ़म्माल में ह़दीस हैः-

भाषांतरः- सैयदना अबदुल्लाह बिन उ़मर रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से वर्णित है के ह़ज़रत रसुल अल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः- माता-पिता कि रजामंदि में अल्लाह तआ़ला कि रजामंदि है, तथा माता-पिता कि नाराज़गी में अल्लाह तआ़ला कि नाराज़गी है।

(कंज़ुल उ़म्माल, ह़दीस संख्याः 45552)

माता-पिता का स्थान व दर्जा औलाद के अधिकार में कितना बुलंद व उच्च है माता-पिता अपने बच्चों से सहमत हो जाएं तो गोया इन्हें अल्लाह तआ़ला कि सहमती प्राप्त हो गई।

माता-पिता अपनी औलाद से खुश व प्रसन्न हों तो यह इन के लिए अल्लाह तआ़ला कि प्रसन्नता व खुशनूदगी कि निशानी है।

माता-पिता अल्लाह तआ़ला कि विशाल व परम नेअ़मत (वरदान) हैं। इन कि आज्ञापालन, फर्माबरदारी अनिवार्य व अवश्य है। इन कि दिल आज़ारी से बचते रहना चाहिए कियों के सरकार सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक हैः औलाद के विरूद्ध इन के माता-पिता कि दुआ नहीं कि जाती जैसा के जामे तिरमिज़ी में ह़दीस हैः-

भाषांतरः- सैयदना अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वर्णित है, आप ने फरमाया के हज़रत रसुल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः- 3 ऐसी दुआएं हैं जिन के स्वीकार होने मैं कोई शक नहीं! मज़लूम (उत्पीड़ित) कि दुआ, यात्री कि दुआ तथा पिता कि दुआ अपनी औलाद के विरूद्ध।

(जामे तिरमिज़ी, हदीस संख्याः 1828(

औलाद को चाहिए के पिता का अदब करें, इन्हें तकलीफ पहुंचाने से परहेज़ करें यदि बच्चा इन को चोट तथा तकलीफ पहुंचाएं तथा वह नाराज़ हो कर बददुआ करें तो यह दुआ बिना शक स्वीकार ही होती है।

माता-पिता यदि औलाद पर कठोरता करें तब भी औलाद यही ज़िम्मेदारी है के वह अपने माता-पिता का पालन व फर्माबरदारी करें। इन का सम्मान व आदर करें तथा इन का आदेश को सम्पूर्ण करें।

इमाम बैहखी कि शुअबुल इमान तथा ज़ुजाजतुल मसाबीह में हदीस हैः-

भाषांतरः- हज़रत सैयदना अबदुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वर्णित है इन्हों ने फरमाया, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः जो व्यक्ति अल्लाह तआला कि सहमती के लिए अपने माता-पिता का पालन व वश्य में सवेरे करता है तो इस के लिए जन्नत के दो दरवाज़े खोल दिए जाते हैं तथा यदि माता-पिता में से कोई एक हों तो एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। तथा जो व्यक्ति माता-पिता के अधिकार

के सिलसिले में अल्लाह तआ़ाला कि अवज्ञा में शाम करता है तो इस के लिए नरक के दो दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। यदि माता-पिता में से कोई एक हों तो एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। एक सहाबी ने निवेदन कियाः अतेतः माता-पिता इस पर अत्याचार करें? सरकार सल्लल्लाहु तआ़ाला अलैहि वसल्लम ने फरमायाः तथापि वह इस पर अत्याचार करें।

(शुअ़बुल इ़मान लिल बैहखी, हदीस संख्याः 7679, अंकः 4, पः 88)

माता-पिता कि सेवा औलाद पर अनिवार्य

माता-पिता का आज्ञापालन औलाद के अधिकार में इस समय तक वाजिब रहेगी जब तक के वह अहकाम शरीअ़त के अनुसार आदेश दें। यदि माता-पिता शरीअ़त के विरूद्ध करने का आदेश दें या किसी गलत कार्य का अनुदेश दें तो इन का पालन नहीं करना चाहिए। कियों के अल्लाह तआ़ाला कि अवज्ञा में किसी निर्माण का पालन श्रेष्टतर नहीं।

हज़रत सैयदना अबदुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु तआ़ाला अन्हु से वर्णित हैः आप ने फरमायाः तुम माता-पिता कि सेवा में ऐसे उपस्थित रहो जैसे कोई कमज़ोर व तुच्छ, पापी सेवक अपने तंद स्वभाव तथा कठोर वार्तालाप स्वामी के सामने इस कि सहमती प्राप्त करने के लिए विनम्रता करता है।

(तफसीर रुह अल बयान, सुरह अल इसराः 23)

माता के साथ शिष्टाचार कि महत्व

माता-पिता में उत्तमता व आदर के आधार से पिता प्रधान हैं तथा सेवा के अनुसार से माता को मुख्य हैसीयत प्राप्त है। सहीह बुखारी व सहीह मुसलिम में हदीस हैः-

भाषांतरः- हज़रत सैयदना अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वर्णित है आप ने फरमाया के एक सहाबी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि पावन सेवा में उपस्थित हो कर निवेदन किएः या रसुल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम! मेरे शिष्टाचार के सब से ज्यादा अधिकार कौन है? आप ने आदेश फरमायाः तुम्हारी माता ज्यादा अधिकार है। इन्हों ने निवेदन कियाः फिर कौन? आप ने आदेश फरमायाः तुम्हारी माता ज्यादा अधिकार है। इन्हों ने निवेदन कियाः फिर कौन? आप ने आदेश फरमायाः तुम्हारी माता ही तुम्हीरे शिष्टाचार के अधिक योग्य है। इन्हों ने जब चौथी बार निवेदन किया के फिर शिष्टाचार के अधिकार योग्य कौन हैं? तब आप ने इरशाद फरमायाः तुम्हारे पिता शिष्टाचार के अधिक योग्य में।

(सहीह बुखारी हदीस संख्याः 5971)

सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने माता को सेवा गुज़ारी तथा शिष्टाचार में 3 दर्जे अधिक उत्तमता दी है। इस कि विद्या यह है के माँ कियों ते 3 ऐसे स्तर (मंजिल) तय करती है जिस में इस के साथ पिता शरीक नहीं होताः (1)- गर्भावस्था का स्तर। (2)- जन्म का स्तर। (3)- और रज़ाअ़त का स्तर।

माँ गर्भिणी के स्तर में 9 महीने बच्चे को गर्भ में रखती है। इस का बोझ उठाती है, इस के लिए कठिनाई बर्दाश्त करती हैं। जन्म के स्तर में दर—

बर्दाश्त करते हुए बच्चे का जन्म का माध्यम बनती है। तकलीफ कि आहें भरते हुए पैदाइश का सामान हो जाती है।

कुछ समय अपनी जान खतरे में डाल कर बच्चे को नरक जन्म देती है। फिर वितरण में पैदाइश से दो वर्ष तक उसे खून जिगर से अपना दूध पिलाती है। इसी कारण से माँ कि सेवा गुज़ारी व शिष्टाचार के अधिकार को पिता से 3 दर्जे अधिक बतलाया गया।

सहीह बुखारी कि उल्लेख हदीस शरीफ कि व्याख्या में अल्लामा बद्रउद्दीन ऐ़नी हनफी रहम एक वर्णित को निर्वचन करते हैः-

सम्पूर्ण मुहद्दीस (विशेषज्ञ) ने हज़रत अबदुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से वर्णित कि है के एक सहाबी सरकार दो आ़लम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम कि सेवा में उपस्थित हुए तथा निवेदन किया के मैं ने --- थी के यदि अल्लाह तआ़ला आप के लिए मक्का विजय फरमा दे तो मैं वहाँ पहुंच कर कअ़बातुल्लाह कि चौखट को बोसा दुंगा तो सरकार सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः तुम अपनी माता के चरणों को चूमों! अवश्य तुम ने अपनी --- पुरी करली।

(उ़मदतुल खारी, सहीह बुखारी, अंक 15, पः 141)

मुहब्बत कि निगाह से माता-पिता को देखने पर स्वीकृत हज का पुण्य

सेवक को माता-पिता का पालन व वश्य (फर्माबरदारी) पर ही नहीं नवाज़ा जाता, बल्कि यदि कोई भला संतान अपने माता-पिता को केवल मुहब्बत

भरी निगाहों (नेत्र) से देखता है तो इस को हर नज़र के बदले स्वीकृत हज का पुण्य दिया जाता है।

जैसा के रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने माता-पिता के स्थान व दर्जे को उजागर करते हुए तथा इन के साथ शिष्टाचार तथा आज्ञाकारी स्वभाव कि महत्व को स्पष्ट करते हुए आदेश फरमायाः-

भाषांतरः- सैयदना अबदुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु से वर्णित है के हज़रत रसुल अल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः- जो कोई आज्ञापालन लडका अपने माता-पिता को स्नेह व मुहब्बत कि निगाह (नेत्र) से देखता है तो अल्लाह तआ़ला हर नज़र के बदले इसे स्वीकृत हज (हज मक़बुल) का पुण्य दान करता है। सहाबा किराम ने निवेदन कियाः यदि वह दिन में 100 बार देखे तो कया 100 स्वीकृत हज (हज मक़बूल) का पुण्य (सवाब) मिलेगा? सरकार सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः हाँ! अल्लाह तआ़ला सर्वश्रेष्ट है तथा बेइन्तेहा करम फरमाने वाला है।

(शुअ़बुल इ़मान, हदीस संख्याः 7611, कंज़ुल उ़म्माल, हदीस संख्याः 45535- ज़ुजाजातुल मसाबीह, बाब अ़ल बरवसीलह, अंक 4, पः 88)

सरकार सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने अपनी शान रहमत से आदेश फरमाया के माता-पिता कि ओर स्नेह व मुहब्बत कि नज़र से केवल देखने पर एक स्वीकृत हज का पुण्य दिया जाता है।

इस सिलसिले में अन्य इ़बादतों का पुण्य भी स्थापित किया जा सकता है। दो रकात नमाज़ किसी भी स्थान पर सरलता के साथ पढी जा सकती है। रोज़ा रखने के लिए भी केवल एक दिन स्थापित होता है।

तिलावत (क़ुरान में कुछ धन खर्च करने कि आवश्यकता नहीं तथा सदखे व खैरात में समय केवल नहीं होता। किन्तु नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने स्वीकृत हज के पुण्य को स्थापित फरमाया। कियों के हज शारीरिक इ़बादत भी है तथा माली इ़बादत भी। हज एक ऐसा फरीज़ा है जो हर समय तथा हर स्थान समापन नहीं किया जा सकता।

इस का संपादन के लिए विशेष समय तथा स्थापित स्थान है। इस के बावजूद जो हज करने वाला सम्पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कह सकता के इस का हज अल्लाह तआ़ला कि बारगाह में स्वीकार हुआ है।

परन्तु माता-पिता का पालन व आज्ञाकारी पर केवल हज का पुण्य नहीं बल्कि स्वीकृत हज (हज मक़बूल) का पुण्य दिया जाता है।

इस प्रधान गवाही को सुन कर सहाबा किराम ने सरकार सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम से निवेदन किया तथा स्पष्ट करना चाहा के बच्चा अपने माता-पिता को दैनिक कई बार देखे तो पुण्य (सवाब) का किया मामला रहेगा?

कायनात के सरदार सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने अपने खुदा के अता अधिकार से यह इरशाद फरमाया के बच्चा जब जब स्नेह व प्रेम कि

नज़र माता-पिता पर डाले इसे स्वीकृत हज (मक़बूल हज) का सवाब प्रदान कर दिया जाएगा।

अर्थात केवल एक स्वीकृत हज के पुण्य पर निश्चय नहीं किया गया, बल्कि एक दिन में यदि वह 100 बारर भी स्नेह व प्रेम कि नज़र से माता-पिता को देखे तो अवश्य इसी संख्या में स्वीकृत हज का पुण्य व प्रतिफल दान किया जाएगा।

माता-पिता हमारे लिए खुदा तआला का वरदान हैं। इन के जीवन को ग़नीमत समझें तथा इन के सम्मान से परिचित रहें। हज़रात अहले बैत किराम, सहाबा इजाम तथा सालेहीन उम्मत ने माता-पिता के साथ शिष्टाचार व सभ्यचार के ऐसे विशाल उदाहरण पेश किए के इतिहास में जिनकी नज़र नही मिलती।

हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आदर व सम्मान के पेश नज़र अपनी प्रिय माता सैयदह फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ भोजन के उपभोग के लिए नहीं बैठते थे। जैसा के --- में हैः-

भाषांतरः- सैयदना इमान हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी प्रिय माता सैयदह फातिमा ज़रहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ भोजन के उफभोग के लिए नहीं बैठते थे, जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस से संबंधित पुछा तो आप ने निवेदन कियाः मुझे भय है के जिस चीज़ को आप खाने का विचार करें यदि मैं इस में से कुछ खालुं तो कहीं मैं आप कि अवज्ञा करने वाला ना बन जाऊँ। तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमायाः आप हमारे साथ खाया करें! आप के लिए निपुण आज्ञा है।

(नज़हतुल मजालिस, --- अंकः 1, पः 184)

इसी प्रकार कंज़ुल उ़म्माल शरीफ में माता-पिता कि सेवा कि बरकत तथा इस के सिलह में मिलने वाली नेअ़मत से संबंधित हदीस हैः-

भाषांतरः- उम्मुल मोमिनीन सैयदह आयशा सिद्दीखा रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हा से वर्णित है, आप ने फरमाया के हज़रत रसुल अल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः मैं जब जन्नत में प्रवेश हुआ तो इस दौरान मैं (सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम) जब ने किसी पढने वाले कि आवाज सुनी, मैं ने पुछा के यह कौन हैं? फरिश्तों ने निवेदन कियाः यह हारिसा बिन नुअ़मान रज़ियल्लाहु तआ़ला अन्हु हैं। तब आप ने आदेश फरमायाः इसी प्रकार नेकी का बदला दिया जाता है, इसी प्रकार नेकी का बदला दिया जाता है, वह लोगों में सब से अधिक अपनी माता कि सेवा करने वाले हैं।

(क़ज़ुल उ़म्माल, हदीस संख्याः 45937)

हज़रत बायज़ीद बुसतामी रहमतुल्लाहि अलैह कि प्रिय माता ने रात के समय आप को पानी लाने के लिए फरमाया, जब आप पानी लेकर उपस्थित हुए तो प्रिय माता कि आँख लग चुकी थी। आप अपनी प्रिय माता कि राहत तथा सम्मान का ध्यान करते हुए रात भर पानी का प्याला हाथ में लिए ठहरे रहे। जैसा के – में वर्णित हैः-

भाषांतरः- हज़रत बायज़ीद बुसतामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया के मेरे प्रिय माता ने एक बार (रात के समय) मुझे पानी लाने के लिए फरमाया, जब मैं (पानी ले कर) इन के पास उपस्थित हुआ तो मैं ने देका के वह सो गई हैं। तो मैं इन के बेदार होने कि प्रतिक्षा में ठहरा रहा। जब वह बेदार हुईं तो कहा के पानी कहाँ है? तो मैं ने इन कि सेवा में प्याला पेश किया, जबके पानी बह कर मेरे अंगुली पर आ चुका तथा कठिन सरदी के कारण से प्याला जम गया, जब प्रिय माता ने प्याला लिया तो मेरी अंगुली कि खाल निकल गई तथा खून बहने लगा। इन्हों ने कहाः बेटा! यह कया है? तो मैं ने इन्हें सारी घटना वर्णन की, इन्हों ने मेरे लिए दुआ फरमाई “ऐ अल्लाह! मैं इस से राज़ी हुं तथा तु भी इस से राज़ी हो जा!”।

(--- अंकः 1, पः 183)

प्रिय माता कि दुआ का यह प्रभाव रहा के आप फरमाते हैः- मैं समझता था के मुजाहिदात व रियाज़ात (प्रयास व परिश्रम) मान्य व उच्च हैं। किन्तु जो बात मैं इस में प्राप्त ना कर सका वह माँ कि रजामंदि व सेवा में पाया। (मवाइज़ हसना, अंकः 1, पः 183)

माता कि दुआ का प्रभाव तथा सेवा कि बरकत (आशीर्वाद) केवल इस दुनिया तक सीमित ना थी बल्कि आखिरत (मरणोत्तर जीवन) में भी कृपा होती हैं। जैसा के इस वर्णित से प्रकट होता हैः-

भाषांतरः- तथा जब हज़रत बायज़ीद बुसतामी रहमतुल्लाहि अलैह का देहान्त हुआ तो आप के कुछ मुरीदीन (अनुयायी) ने आप को सपने में देखा के आप जन्नत के बाग़ों में सैर फरमा रहे हैं तथा अल्लाह तआला कि तसबीह बयान फरमा रहे हैं। इन्हों ने निवेदन कियाः आप इस उच्च व उत्तम दर्जे पर कैसे स्थित हुए? तो आप ने इरशाद फरमायाः माता-पिता के साथ

शिष्टाचार करने तथा मुसीबतों पर सहनशीलता व धीरज रखने के कारण से (मुझे यह स्थान प्राप्त हुआ है)।

(---, अंकः 1, पः 183)

माता-पिता कि आज्ञालंगघन बडा पाप

सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पावन दरबार में अनेक समय में दो प्रश्न किए गए। एक प्रश्न यह किया गया के अल्लाह तआला के दरबार में सब से अधिक प्रिय व महबुब कर्म कौनसा है? तो आप ने उत्तर में यह भी फरमाया के "माता-पिता के साथ शिष्टाचार व सभ्यचार किया जाए"।

तथा दुसरा प्रश्न किया गया के "गुनाह कबीरा (बडा पाप) कया है" तो इस के उत्तर में आप (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) ने यह भी फरमाया के "माता-पिता कि अवज्ञा तथा आज्ञालंघन करना" जैसा के सहीह बुखारी में हदीस हैः-

भाषांतरः- सैयदना अबदुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वर्णित है, वह फरमाते हैं के मैं ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि पावन सेवा में निवेदन किया के कौनसा कर्म अल्लाह तआला के पास अधिक प्रिय है? आप (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) ने आदेश फरमायाः नमाज़ का इस के समय पर संपादन करना, इन्हों ने

निवेदन कियाः फिर कौनसा कर्म अधिक प्रिय है? आप ने आदेश फरमायाः माता-पिता के साथ शिष्टाचार करना, इन्हों ने निवेदन कियाः फिर कौनसा कर्म अधिक प्रिय है? आप ने आदेश फरमायाः सत्य कि राह में प्रयास करना।

(सहीह बुखारी हदीस संख्याः 527)

अधिक सहीह बुखारी में हदीस हैः-

भाषांतरः- हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वर्णित है, आप ने फरमाया के हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि पावन सेवा में बडे पापों (गुनाह कबीरा) से संबंधित प्रश्न किया गयाः आप (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) ने आदेश फरमायाः "अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक करना, माता-पिता कि आज्ञालंघन करना, नाहक़ किसी का हत्या करना तथा झूठी गवाही देना" बडे पाप हैं।

(सहीह बुखारी हदीस संख्याः 2653)

अन्य पापों (गुनाहों) के समर्पण पर अल्लाह तआला सेवक को महोलत देता है तथा आखिरत में इन पापों कि सजा मिलती है किन्तु माता-पिता कि आज्ञालंघन ऐसा कठिना पाप है के आखिरत में तो इस पर हिसाब होगा, परन्तु संसार में भी इसे अनेक कठिनाई व आफत, विपत्ति में व्यस्त कर के सजा दी जाती है।

मुसतदरक अ़ला सहिहैन तथा शुअ़बुल इ़मान में हदीस हैः-

भाषांतरः- हज़रत सैयदना अबु बकरह रज़ियल्लाहु तअ़ाला अन्हु से वर्णित है, आप ने फरमाया के मैं ने हज़रत रसुल अल्लाह सल्लल्लाहु तअ़ाला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना के "सम्पूर्ण पापों में जिन पापों पर अल्लाह तअ़ाला चाहे सजा को खियामत तक विलम्ब फरमाता है सिवाए माता-पिता कि आज्ञालंघन के, कियों के अल्लाह तअ़ाला, माता-पिता के आज्ञालंघन को मृत्यु से पूर्व संसार ही में सजा देता है।"

(अल मुसतदरक अला सहीहैन, हदीस संख्याः 7372, शुअ़बुल इ़मान लिल बैहखी, हदीस संख्याः 7646)

इसलाम ऐसा सम्पूर्ण व सिद्धहस्त धर्म है के जिस में सम्पूर्ण अधिकार जाति के अधिकार वर्णन व स्पष्ट किए गए हैं। इसलाम धर्म ने केवल मनुष्य के अधिकार ही वर्णन नहीं किए बल्कि जानवरों के अधिकार भी वर्णन किए हैं। अधिकार को योग्य लोग के अधिकार कि अदाई के सिलसिले में इसलाम ने मुसलमान व ग़ैर मुसलिम का अंतर नहीं रखा है।

अर्थात यदि किसी के माता-पिता ग़ैर मुसलिम हों तब भी इसलाम इन के साथ शिष्टाचार करने का आदेश देता है, अल्लाह तअ़ाला का इरशाद हैः-

(यदि माता-पिता ग़ैर मुसलिम हों) तब भी तुम दुनिया में इन के साथ अच्छा व्यवहार करो।

(सुरह अल लुखमानः 31:15)

सहीह बुखारी में वर्णित हैः-

भाषांतरः- हज़रत हिश्शाम बिन ऱरवह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने पिता से वर्णित करते हैं के इन्हें हज़रत अमा बिन्क अबु बक्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमायाः हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) के मुबारक दौर में मेरी माता शिष्टाचार कि इच्छा कर कर मेरे पास आईं तो मैं ने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि सेवा में निवेदन कियाः कया मैं इन के साथ शिष्टाचार करुँ? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः हाँ! हज़रत सुफयान इब्न अइनह फरमाते हैं के इसी बारे में अल्लाह तआला ने आयत मुबारका प्रकट फरमाईः भाषांतरः- अल्लाह तआला तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो तथा उनके साथ न्याय करो, जिन्हों ने तुमसे धर्म के मामले में युद्ध नहीं किया तथा ना तुम्हें तुम्हारे अपने घरों से निकाला। निस्संदेह अल्लाह तआला न्याय करने वालों को पसन्द करता है।

(सुरह अल मुम्तहिनाः 60:08)
(सहीह बुखारी, हदीस संख्याः 5979, सहीह मुसलिम हदीस संख्याः 2372)

जामेअ उल अहादीस तथा कंज़ुल ऱम्माल में हदीस हैः-

भाषांतरः- हज़रत सैयदना अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वर्णित है के हज़रत रसुल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः तुम अपने पिता के आगे ना चलो, अपने पिता के लिए गाली का कारण ना बनो, इन से पूर्व ना बैठो तथा इन्हें इन के नाम से ना पुकारो!

(जामेअ उल अहादीस, हदीस संख्याः 16942- कंज़ुल ऱम्माल, हदीस संख्याः 45514)

यदि माता-पिता जीवित हों तो इन के साथ शिष्टाचार व सभ्यचार करने कि स्थिति यह है के इन के सेवा कि जाए तथा इन का आज्ञापालन कि जाए तथा जब माता-पिता में से कोई देहान्त कर जाएं तो इन के साथ सभ्यचार कि परिस्थिति यह है के इन के लिए मग़फिरत (मुक्ति) कि दुआ कि जाए, इन के ज़िम्मे जो उधार था इसे अदा किया जाए, इन के नातेदारों के साथ शिष्टाचार किया जाए तथा उन के लिए ईसाल-सवाब (संक्षेप व सार-संग्रह) का प्रबन्ध किया जाए अर्थात सुनन अबु दाउद में हदीस हैः-

भाषांतरः- हज़रत सैयदना अबु उसैद--- मालिक बिन रुबैअ साअदी --- रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वर्णित है इन्हों ने फरमायाः इस दौरान के हम हज़रत रसुल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि सेवा में उपस्थित थे के क़बीले बनु सलमा के एक सदस्य उपस्थित हो कर निवेदन कियाः या रसुल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम! कया मेरे माता-पिता से शिष्टाचार व सभ्यचार का कोई कर्म बाखी है जिस के द्वारा इन के देहान्त के बाद उन से शिष्टाचार करुँ? सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः हाँ! इन के देहान्त के बाद शिष्टाचार व भला व्यवहार कि स्थिति यह हैः इन कि नमाज़ जनाज़ा पढाना, उन के लिए इस्तेग़फार (मुक्ति व पश्चाताप) करना, उन के बाद उन के वचन का संपादन करना तथा उन नातेदारों के साथ संबंध रखना जिन से इन के कारण से ही संबंध रखा जाता हो तथा उन के मित्रों का आदर करना।

(सुनन अबु दाउद, पः 700, हदीस संख्याः 5144)

माता-पिता के सिलसिले में औलाद पर कई प्रकार के अधिकार प्रचलित (लागू) होते हैं। क़ुरान व हदीस कि रोशनी में वैभव व प्रतिष्ठा माता-पिता से संबंधित वर्णन करने के बाद बतौर – चार अधिकार जो माता-पिता के जीवित रहने से संबंधित है तथा चार अधिकार जो इन के देहन्‍ात के बाद संबंधित होते हैं वर्णन किए गए हैं।

अल्लाह तआ़ाला से दुआ है के हमें अपने माता-पिता के अधिकार अदा करने तथा इन का आदर व सम्मान का संपादन करने के कृपा प्रदान फरमाए।

आमीन...